राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
पी आर पी एण्ड पी प्रभाग, निदेशक (प्रशा.) एकक

बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन पर रा.मा.अ.आयोग के एक दिवसीय कार्यशाला का जयपुर में 29 जनवरी, 2016 को उद्घाटन

करटेन रेजर

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 29 जनवरी, 2016 को हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जे एल एन मार्ग, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में 'बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। यह कार्यशाला न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगेशन, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी एवं यह प्रातः 9.30 बजे से सायं 5 बजे तक चलेगी।

इस कार्यशाला में राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधि, गैर–सरकारी संगठन एवं ईंट भट्टों, पत्थर तोड़ने एवं संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यशाला में भाग लेने के लिए विद्वानों, शोध छात्रों एवं राजस्थान विश्वविद्यालय को भी आमंत्रित किया गया है।

इस कार्यशाला का उद्देश्य जिला मजिस्ट्रेटों, उपप्रभागीय मजिस्ट्रेटों, राज्य श्रम अधिकारियों एवं सतर्कता समिति के सदस्यों, ईंट भट्टे, पत्थर तोड़ने एवं संबंधित उद्योगों से जुड़े व्यक्तियों को बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम एवं अन्य संबंधित विधेयकों एवं बंधुआ मजदूरों के पहचान, रिहाई एवं पुनर्वास की प्रक्रिया से संवेदित करना है। वर्ष 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को निदेश दिया गया था कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के क्रियान्वयन की निगरानी में शामिल हों। न्यायालय ने यह निदेश रिट याचिका (संख्या–3922/1985) पिपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टिज बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य की सुनवाई के दौरान दिए थे। देश के विभिन्न भागों में तब से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है।

अतः बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के विषय में आयोग सरकारी महकमे को संवेदित करने हेतु देश के विभिन्न भागों में ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करता रहा है। आयोग ने अभी तक बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन से संबंधित 33 कार्यशालाएं आयोजित करवाई हैं।

****